

>

Title: Introduction of the High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2021.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 15, श्री किरेन रिजीजू जी ।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KIREN RIJIJU):

Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I introduce the Bill.

15.09hrs

माननीय अध्यक्ष : नियम 377 के अधीन जो भी मामले हैं, माननीय सदस्य सभा पटल पर रखें ।

...(व्यवधान)